न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस

प्रकरण सं0 : 01/2019

1. महेन्द्र पुत्र काशीराम जाति सुनार निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।
2. बिमला पत्नी महेन्द्र जाति सुनार निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. सुभाष पुत्र काशीराम जाति सुनार निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।
2. राजु पुत्र रामप्रताप जाति सुनार निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।
3. संजयकुमार पुत्र रामप्रताप जाति सुनार निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।
4. हनुमान पुत्र काशीराम जाति सुनार निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।
5. एसबीबीजे वर्तमान एसबीआई बस स्टेण्ड भादरा जरिऐ शाखा प्रबन्धक।
6. एक्सीस बैंक शाखा भादरा जरिऐ शाखा प्रबन्धक भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 8(2) जनरल कॉलोनी कन्डीशनस एक्ट व धारा 251 आरटीएक्ट

उपस्थिति : वकील श्री राजेन्द्र जाखल : **प्रार्थीगण**

वकील श्री रामजस गढवाल : **अप्रार्थी सं0 1 ता 4**

निर्णय **दिनांक :** 27.2.19

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की रोही मौजा शिवदानपुरा तहसील भादरा के वर्तमान खाता सं0 124/118 के खसरा सं0 33 की 1.594 है0 खसरा सं0 37 की 0.883 है0 कुल 2.477 है0 बारानी खातेदारी प्रार्थीगण के नाम से प्रार्थी विमला के नाम से 0.797 है0 एवं प्रार्थी महेन्द्र के नाम से 1.680 है0 खातेदारी दर्ज है।

प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा सं0 37 के पूर्वी तरफ की रोही शिवदानपुरा के ही खसरा सं0 37/3 की 0.883 है0 खातेदारी अप्रार्थी हनुमान के नाम से खातेदारी दर्ज है तथा हनुमान के पूर्वी तरफ की रोही शिवदानपुरा के खसरा सं0 37/1 की 2.020 है0 खातेदारी अप्रार्थी सुभाष की खातेदारी है एवं 37/2 की 1.766 है0 अप्रार्थी राजु व संजय कुमार की खातेदारी कृषि भूमि स्थित है।

प्रार्थीगण की खसरा सं0 37 एवं अप्रार्थीगण सं0 1 ता 4 की खसरा सं0 37/1, 37/2, 37/3 की खातेदारी पूर्व में मुश्तर्का खातेदारी हुआ करती थी एवं उक्त भूमि प्रार्थी महेन्द्र के पिता काशीराम की खातेदारी हुआ करती थी जिसका कालान्तर में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का खाता तकशीम हो गया एवं अलग अलग खातों में उक्त भूमि दर्ज हो गई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की उक्त मुश्तर्का

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
(जिला-हनुमानगढ़)

खातेदारी के पूर्वी तरफ उतर से दक्षिण के लिए स्वीकृतशुदा चालू रास्ता है जिससे होकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अपनी मुश्तर्का खातेदारी में आवागमन किया करते थे।

प्रार्थीगण की अप्रार्थीगण से खातेदारी का खाता तकशीम करते समय प्रार्थीगण की खातेदारी तक रास्ता का अंकन होने से रह गया था जबकि प्रार्थीगण के हिस्सा में आई खसरा सं0 37 की खातेदारी तक आवागमन के लिए अप्रार्थीगण की खसरा सं0 37/3 के बीचों बीच व खसरा सं0 37/1 तथा खसरा सं0 37/2 की सीमा के उपर से अर्थात् दोनों खसरों के बीचों बीच पूर्वी तरफ के उतर से दक्षिण को जाने वाले आम रास्ता से होकर प्रार्थीगण की खातेदारी में आवागमन किया जाता आ रहा है। इसके अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा सं0 37 में आवागमन का अन्य कोई रास्ता नहीं है। खाता तकशीम करवाते समय प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण इस बात पर सहमत भी हुए थे कि खसरा सं0 37/3 के बीचों बीच एवं खसरा सं0 37/1 व 37/2 की सीमा के उपर से पूर्व से पश्चिम एक एक गट्ठा का रास्ता स्वीकृत करवा लेगें, परन्तु खाता तकशीम करवाते समय उक्त रास्ता का अंकन होने से रह गया था। अब प्रार्थीगण की खातेदारी में आवागमन के लिऐ बने उक्त रास्ता के राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के चलते प्रार्थीगण को काफी परेशानी होगी तथा अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की खातेदारी तक ने उक्त रास्ता को अवरूद्ध करने की भी धमकी देते रहते है, जबकि रास्ता की भूमि को काट कर ही शेष भूमि का प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण ने बंटवारा किया था।

ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण अपनी खातेदारी रोही मौजा शिवदानपुरा के खसरा सं0 37 में आवागमन के लिए अप्रार्थीगण सं0 1 ता 4 की खसरा सं0 37/3 के बीचों बीच पूर्व से पश्चिम एक गट्ठा चौड़ाई में तथा खसरा सं0 37/1 व 37/2 की सीमा पर दोनों तरफ से आधे आधे भाग में एक गट्ठा चौड़ाई में पूर्व से पश्चिम खसरा सं0 37/1 व 37/2 के पूर्वी तरफ लगने वाले स्वीकृतशुदा रास्ता तक राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत किया जाकर इसी अनुसार उक्त रास्ता का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी एवं नक्शा में अंकन करवाने के प्रार्थीगण कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं0 1 ता 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। अप्रार्थी सं0 5 को बार बार आवाज लगाई गई उपस्थित नहीं आने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं0 6 बैंक व अप्रार्थी सं0 7 पेरोकार राज ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण ने रोही मौजा शिवदानपुरा के खसरा सं0 37 की कृषि भूमि में आवागमन के लिए रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज यथा सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम शिवदानपुरा खाता सं0 124/118 सम्वत् 2072 से 75 में खसरा सं0 33 व 37 प्रार्थीगण व सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम शिवदानपुरा खाता सं0 143/118 के खसरा सं0 37/1 अप्रार्थी सं0 1 सुभाष व इसी ग्राम के खाता सं0 102/118 के खसरा सं0 37/2 की कृषि भूमि अप्रार्थी सं0 2 राजु, अप्रार्थी सं0 3 संजयकुमार व खाता सं0

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

146/118 के खसरा सं0 37/3 में अप्रार्थी सं0 4 हनुमान वल्द कासीराम के नाम दर्ज होना स्पष्ट है प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं0 1 ता 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया है व मुताबिक राजीनामा रोही मोजा शिवदानपुरा के खसरा सं0 37 में आवागमन के लिए खसरा सं0 37/3 के बीचों बीच पूर्व से पश्चिम एक गट्ठा चोड़ाई में, खसरा सं0 37/1 व 37/2 की सीमा पर दोनों तरफ से आधे आधे भाग में पूर्वी तरफ लगने वाले स्वीकृत शुदा रास्ता तक रास्ता स्वीकृत करवाने पर सहमत है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा मुताबिक राजीनामा रोही मोजा शिवदानपुरा के खसरा सं0 37 में आवागमन के लिए खसरा सं0 37/3 के बीचों बीच पूर्व से पश्चिम एक गट्ठा चोड़ाई में, खसरा सं0 37/1 व 37/2 की सीमा पर दोनों तरफ से आधे आधे भाग में पूर्वी तरफ लगने वाले स्वीकृत शुदा रास्ता तक रास्ता स्वीकृत किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अंकन किया जावे तथा रहन बैंक पक्षकारान के हिस्सों पर यथावत् रखा जावे। तहसीलदार भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.2.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़